

फर्य अहकाम अन्तर्गत नियम 28  
 न्यायालय सहायक कलक्टर (फारट ट्रेक), श्रीगंगानगर  
 मनजीत सिंह बनाम टाणा सिंह व अन्य  
 वादपत्र संख्या 2022/067  
 online #  
 अन्तर्गत धारा 88,91,188,92ए,209 आरटीए एक्ट

देश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
4.08.2022	वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री संतोख सिंह द्वारा उपरिथत आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 15 जुलाई, 2022 को पेश हो.	
15/8/22	आज का सम्मन कार्य नहीं करन का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15.08.22 को पेश हो	
4/8/22	अखिलवाणी शा. 90 पृ. मो. 22 डि. 04 लिपि-आप 15/08/22 को 03 म. 55 उमान पत्र 03/08/22 आज पीठासीन अधिकारी पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 6/9/22 को पेश हो	
6/9/22	अखिलवाणी उपस्थित पत्रावली पाके 90 पृ. मो. 22 डि. 04 को 20/9/22 को पेश हो	
20/9/22	अखिलवाणी उपस्थित पत्रावली पाके 90 पृ. मो. 22 डि. 04 को 14/10/22 को पेश हो	
14.10.22	आज पीठासीन अधिकारी पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14.11.22 को पेश हो	
14.11.22	आज पीठासीन अधिकारी पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2/12/22 को पेश हो	



28.11.24

अधिवक्ता कार्यालय नहीं। वही  
अधिवक्ता को प्रसिवादीगण की तलब  
नहीं रखने पर आदेश 9 निम्न 5  
सीरीस के तहत कार्रवाई करने की  
निर्दिष्ट की गई थी। परन्तु वही  
अधिवक्ता ने प्रसिवादीगण की  
तलब आदिनामक तक नहीं उखाड़ी  
थी। इस प्रकार में आदेश 9 निम्न 5  
5 सीरीस के तहत कार्रवाई की  
जाकर तलब संख्या 2022/1047,  
अनवरत मनजीत सिंह बनाम हांगासिंह  
व अन्य वर्तमान स्तर पर जारी किया  
जाता है। पत्रावली नसीबुद्दौला फारमी  
व अरुण प्रियंका के इस लेटर की जाकर  
मिनीय की सूची में शामिल है।

सहायक कलक्टर एवं  
कार्यापालक दण्डनायक  
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर